इन्दौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर

50

उद्यमेन ज्ञानेन चैंव लक्ष्मी प्राप्यते

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को-ऑप. बैंक लि.

स्वर्ण जयंती वर्ष

वार्षिक प्रतिवेदन - 2023

आवश्यक सूचना

साधारण सभा में प्रवेश हेतु सदस्य को स्वयं की फोटो लगी अनिवार्य संचय खाते की पास-बुक लाना अनिवार्य है।

संचालक मण्डल

अमरीश दम्मानी
अध्यक्ष

विजय कुमार जैन
उपाध्यक्ष

अनिल कुमार नेमा
उपाध्यक्ष

हंसराज जैन

शिवप्रकाश अजमेरा

कमल किशोर लढ़ा

सौरभ पाटोदी

केवल सोनी

राजेश आजाद

जगदीशचन्द्र गुप्ता

संतोष कुमार मूंदड़ा

मुकेश थावरानी

श्रीमती मोनिका नीमा

सुश्री अमिता पांचाल

लेखराज केशवलेकर

अशोक कुमार जैन
विशेषज्ञ संचालक

वासुदेव मूंदड़ा
विशेषज्ञ संचालक

बैंक के संस्थापक सदस्य

श्री बालकिशन जी मुछाल

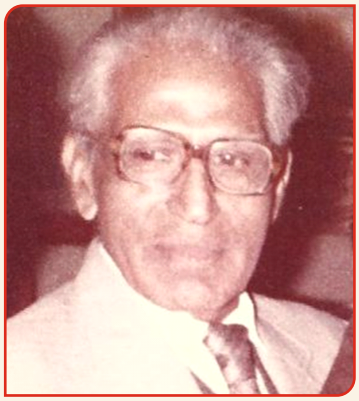

श्री राधाकिशन जी बहल

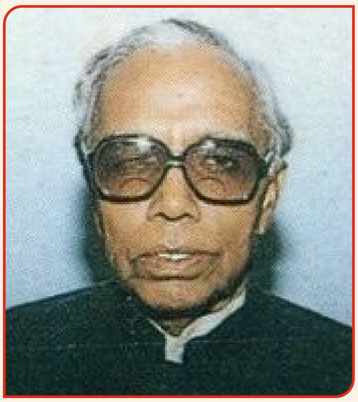

श्री बाबूलाल जी बाहेती

श्री हरिकिशन जी मुछाल

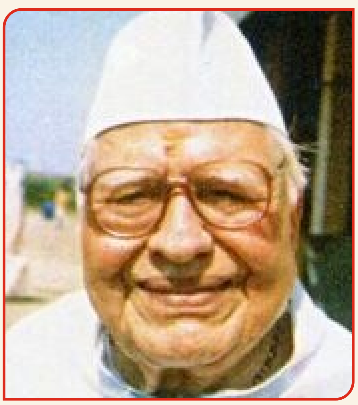

पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी

श्री तेजसिंह जी सुराणा

अध्यक्षीय कार्यकाल

श्री बालकिशन जी मुछाल
08.09.1972 से
10.08.1973

श्री बाबूलाल जी बाहेती
11.08.1973 से 15.05.1977
04.01.1983 से 17.08.1987

श्री हरिकिशन जी मुछाल
16.05.1977 से
11.07.1979

पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी
12.07.1979 से
03.01.1983

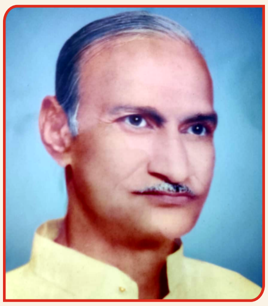

श्री पुरुषोत्तमजी दम्मानी
25.08.1987 से
20.07.1995

श्री प्रेमनारायण जी बाहेती
07.09.1995 से
07.10.2001

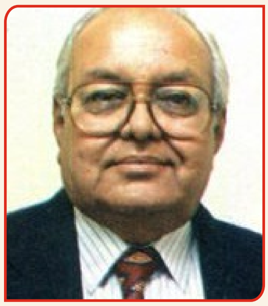

श्री राजाराम जी मुछाल
08.10.2001 से
19.11.2006

श्री श्रीकिशन जी मंत्री
20.11.2006 से
29.01.2012

श्री हंसराज जी जैन
30.01.2012 से
10.03.2022

श्री अमरीश जी दम्मानी
वर्तमान अध्यक्ष

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

पं.क्र. 130/1-3-1973

स्थापना
बसंत पंचमी संवत् 2030
28 जनवरी 1974

अध्यक्ष	–	2459471
प्रबंधक (प्रधान कार्यालय)	–	2459471
शाखा सर हुकुमचंद मार्ग	–	2459882, 2459404
शाखा गुमाश्ता नगर	–	2790070, 4009333
शाखा एरोड्रम रोड़ (कालानी नगर)	–	2629023, 4088874
शाखा सियागंज	–	2547969, 4005333

Email : headoffice@icmbankltd.com • icmb.indore@gmail.com
Website : www.icmbankltd.com

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय
23, सर हुकुमचन्द मार्ग, इन्दौर 452002

पचासवाँ वार्षिक वृत्तान्त
2022-2023

वार्षिक साधारण सभा
रविवार, 24.09.2023
समय प्रातः 10.00 बजे

स्थान :
श्री क्लॉथ मार्केट कन्या विद्यालय
70, गणेशगंज (बड़ा गणपति), इंदौर

संचालक मण्डल (दिनांक 06.10.2022 से)

क्रं.	नाम	पद	दूरभाष/मोबाईल कार्यालय	दूरभाष/मोबाईल निवास	मोबाईल
1.	श्री अमरीश दम्मानी	अध्यक्ष	--	--	94250-55988
2.	श्री विजयकुमार जैन	उपाध्यक्ष	--	--	93024-19006
3.	श्री अनिलकुमार नेमा	उपाध्यक्ष	2459990	2343534	98267-65500
4.	श्री हंसराज जैन	संचालक	--	94245-88945	98260-99955
5.	श्री शिवप्रकाश अजमेरा	संचालक	--	--	94250-56555
6.	श्री कमल किशोर लढ़ा	संचालक	--	--	98270-21772
7.	श्री सौरभ पाटोदी	संचालक	2421354	2785588	94250-63029
8.	श्री केवल सोनी	संचालक	--	--	98933-27797
9.	श्री राजेश आजाद	संचालक	2459600	2780600	94250-59600
10.	श्री जगदीशचन्द्र गुप्ता	संचालक	--	--	94071-22177
11.	श्री संतोष कुमार मूंदड़ा	संचालक	2459431	--	90395-02244
12.	श्री मुकेश थावरानी	संचालक	4935600	4082100	94250-54600
13.	श्रीमती मोनिका नीमा	संचालक	--	2343636	94259-00007
14.	सुश्री अमिता पांचाल	संचालक	--	2701172	93403-80673
15.	श्री लेखराज केशवलेकर	संचालक	--	--	92298-24020
16.	श्री अशोक कुमार जैन	विशेषज्ञ संचा.	--	--	96300-13555
17.	श्री वासुदेव मूंदड़ा	विशेषज्ञ संचा.	2447521	2462794	94250-55310
18.	श्रीमान संयुक्त आयुक्त सह.संस्थाएं	पदेन संचालक	2543668	--	--

प्रबंधन बोर्ड (दिनांक 20.04.2023 से)

1. श्री हंसराज जैन (अध्यक्ष) - 9826099955
2. श्री अमरीश दम्मानी (सदस्य) - 9425055988
3. श्री राजेश आजाद (सदस्य) - 9425059600
4. श्री रविन्द्र केकरे (सदस्य) - 9303627878
5. श्री अमर आहुजा (सदस्य) - 9425032125
6. श्री विपिन जैन (सदस्य) - 9407151550

प्रतिनिधि, सहकारी संस्थाएँ, जिनकी बैंक सदस्य हैं :-

1. श्री गिरिश जैन (पोरवाल) - 9826822002
   इन्दौर प्रीमियर को-ऑप.बैंक लि.
2. श्री लक्ष्मीनारायण मेड़तवाल - 9424044653
   जिला सहकारी संघ मर्यादित

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि.

प्रधान कार्यालय : 23, सर हुकुमचन्द मार्ग, इन्दौर

वार्षिक साधारण सभा 2022-2023

सूचना

बैंक की **50वीं** वार्षिक साधारण सभा **रविवार, दिनांक 24.09.2023 को प्रातः 10.00 बजे श्री क्लॉथ मार्केट कन्या विद्यालय, 70, गणेशगंज (बड़ा गणपति), इंदौर पर आयोजित की गई है।**

यदि निश्चित समय पर गणपूर्ति नहीं हुई तो स्थगित बैठक उसी स्थान पर 30 मिनट पश्चात् होगी।

विषय – सूची

1. गत वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2022 की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (लाभ–हानि तथा बेलेन्सशीट) वर्ष 2022-2023 की स्वीकृति प्रदान करना।
3. अंकेक्षण प्रमाण–पत्र वर्ष 2022-2023 की पुष्टि करना।
4. वर्ष 2022-2023 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय राशि की स्वीकृति प्रदान करना।
5. वर्ष 2024-2025 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति प्रदान करना।
6. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभ विभाजन वर्ष 2022-23 की स्वीकृति प्रदान करना।
7. संचालक मण्डल के सदस्यों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों एवं निकट के नातेदारों के नाम पूर्ववर्ती वर्षों के तहत बकाया उधारों या अग्रिमों यदि कोई हो की जानकारी।
8. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सनदी लेखाकार (अंकेक्षक) की नियुक्ति बाबद।
9. एक मुश्त समझोता योजना बाबद।
10. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार करना।

संचालक मण्डल की अनुज्ञा से
राजेश वोरा
प्रभारी प्रबंधक

दिनांक - 09.09.2023

नोट–

1. उक्त प्रतिवेदन के सम्बंध में यदि कोई सामान्य प्रश्न या जानकारी अभिष्ट हो तो उसे बैंक में **दिनांक 18.09.2023** तक भेजने का कष्ट करें, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त प्रश्नों/पत्रों को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. संस्थाएं, ट्रस्ट फर्म अपने प्रतिनिधि का नाम जो इस सभा में भाग लेंगे, लिखित में **दिनांक 18.09.2023** तक बैंक में भेजने का कष्ट करें।
3. **सभा में सदस्य अपनी अनिवार्य संचय की फोटो लगी पास–बुक अनिवार्य रूप से लावें ताकि असुविधा न हो।**
4. **बैंक के प्रतिवेदन की मूल प्रति ही प्रमाणित प्रति मानी जाएगी।**

वार्षिक साधारण सभा

प्रतिवेदन – 2022-2023

सम्मानीय सदस्य महानुभाव,

बैंक की **50वीं** वार्षिक साधारण सभा में आप सभी सदस्यों का संचालक मण्डल की ओर से साथ ही मेरी ओर से हार्दिक अभिनन्दन ! दिनांक 31.03.2023 को समाप्त हुए आर्थिक वर्ष का प्रगति पत्रक आपके समक्ष रखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप सभी सदस्यों से सहयोग एवं विश्वास के कारण बैंक प्रगति की ओर अग्रसर है।

बैंक अपने निजी संसाधनों से सहकारी सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार समाज के विभिन्न घटकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उनके व्यक्तिगत एवं आर्थिक विकास के साथ ही राष्ट्रीय विकास के कार्य में भी अपना योगदान देने में अग्रसर रही है।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस वर्ष का प्रतिवेदन जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह निश्चित रूप से इस प्रतिस्पर्धा के युग में आर्थिक सुदृढ़ता को प्रतिपादित करेगा।

सदस्यता एवं अंशपूंजी : बैंक की स्थापना के समय सदस्य संख्या 4878 थी, जो मार्च 2023 में 15126 हो गई है। 31 मार्च 2023 को अंशपूंजी रु. 291.25 लाख है।

वित्तीय स्थिति : बैंक की आर्थिक वित्तीय स्थिति पूर्णतः सुदृढ़ है। वर्ष 2022-2023 में निधियां रुपये 940.65 लाख है। प्रदत्तअंशपूंजी रुपये 291.25 लाख है एवं नेट वर्थ रुपये 959.01 लाख है, जो आर्थिक सुदृढ़ता की निशानी है।

अमानतें : बैंक की अमानतें 31 मार्च 2022 को रु. 15550.41 लाख थी, जो 31 मार्च 2023 को रु. 14078.72 लाख रही। बैंक में रुपये 5.00 लाख तक की सभी जमा राशियों पर बीमा संरक्षण प्राप्त है।

विनियोजन : बैंक का इस वर्ष का विनियोजन रु. 8204.19 लाख है।

ऋण एवं अग्रिम : बैंक के ऋण एवं अग्रिम 6639.77 लाख हैं। सदस्यों को उनकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसके कारण बैंक के सभी वर्गो के सदस्य लाभांवित हुए हैं।

वसूली : बैंक द्वारा सदस्यों को जिस प्रकार आसान शर्तों पर शीघ्रता से ऋण दिया जा रहा है, वहीं बैंक वसूली के लिये भी पूर्ण सजग है। वसूली अभियान के अंतर्गत अनियमित सदस्यों को नोटिस, दावा, बजावरी कार्यवाही के साथ ही व्यक्तिगत सम्पर्क कर संचालक–मण्डल के सदस्यों एवं बैंक कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत प्रभाव से वसूली की जा रही है। वर्ष 2022-23 में ओव्हरड्यू का प्रतिशत कुल ऋण से 1.46% था। गत् वर्ष का नेट एन.पी.ए. शून्य था जो इस वर्ष भी शून्य ही है। ग्रास एन.पी.ए. इस वर्ष 1.51% रहा है।

सदस्यों से निवेदन है कि वे अपनी ऋण की किश्तें समय पर जमा करें, ताकि कठोर कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके एवं भविष्य में ऋण सुविधा प्राप्त करने में असुविधा न हो।

कार्यशील पूंजी : बैंक की गत वर्ष की कार्यशील पूंजी रू. 17693.83 लाख थी, जो इस वर्ष रु. 16214.49 लाख रही है।

शुद्ध लाभ : बैंक का आलोच्य वर्ष में शुद्धलाभ 97.60 लाख रहा है।

बजट : आगामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अनुमानित बजट प्रस्तुत है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

अंकेक्षण : बैंक को सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 के अंकेक्षण में ''अ'' वर्ग प्रदान किया गया है।

विशेष सुविधा

R.T.G.S./ N.E.F.T. एवं ड्राफ्ट सुविधा : बैंक, व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देश के अनेक शहरों पर नाममात्र के शुल्क पर बैंक ड्राफ्ट विभिन्न बैंकों के सहयोग से सुविधा उपलब्ध करा रही है। बैंक की सभी शाखाओं में R.T.G.S. & N.E.F.T. की सुविधा उपलब्ध है।

लॉकर सुविधा : वर्तमान में बैंक की 4 कार्यरत शाखाएं हैं, जिसमें बैंक की तीन शाखाओं – सर हुकमचंद मार्ग, गुमाश्ता नगर (उषा नगर) एवं एरोड्रम रोड़ (कालानी नगर) शाखा में लॉकर सुविधा न्यूनतम किराये पर उपलब्ध है।

कोर बैंकिंग सुविधा : बैंक की चारों शाखाओं में कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। बैंक के खातेदार चारों शाखाओं में किसी भी शाखा का लेनदेन निश्चित सीमा तक कर सकते हैं।

बैंक कर्मचारियों को सुविधा : बैंक कर्मचारियों को एलएफसी की सुविधा तथा न्यूनतम ब्याज दर पर कर्मचारी मकान ऋण, नियोक्ता ऋण, वाहन ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

एस.एम.एस. / मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध है। ए.टी.एम., E-Com, मोबाइल नेट बैंकिंग Imps की सुविधा दी जा रही है।

शिकायत पुस्तिका : बैंक की सभी शाखाओं में खातेदारों एवं सदस्यों के लिये शिकायत पुस्तिका रखी गई है। आप सभी से निवेदन है कि शिकायत पुस्तिका में अपनी शिकायत या सुझाव यदि कोई हो तो शिकायत पुस्तिका में अवश्य दर्ज करें, इससे बैंक प्रबंधन में सहयोग मिलेगा। शिकायत पुस्तिका शाखा प्रबंधक के पास उपलब्ध है।

क्रेडिट ग्यारंटी कॉरपोरेशन : बैंक के जमा अमानतदारों के रुपये 5.00 लाख तक की अमानतों की सुरक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट ग्यारंटी कॉरपोरेशन की प्रीमियम दिनांक 30.09.2023 तक की नियमानुसार जमा है।

चिकित्सा सहायता कोष : चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में सभी पात्र सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है

अध्यक्ष की कलम से

सम्माननीय सदस्यगण,

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप सभी के सहयोग से बैंक अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। आप सभी सदस्य बंधुओं को मेरी एवं संचालक मण्डल के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक बधाई।

कपड़ा मार्केट के वरिष्ठ व्यापारियों द्वारा व्यापारियों की वित्तीय व्यवस्थाओं, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कपड़ा मार्केट स्वयं की बैंक स्थापित करें। इसी मूल उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु दिनांक 28 जनवरी 1974 बसंत पंचमी को बैंक की स्थापना चार कमरों में की गई थी, जिसकी आज अपने स्वयं के भवन के साथ चार शाखाएँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है।

बैंक सभी डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान कर रही है। आप सभी सदस्यों एवं ग्राहकों से विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक बैंक के मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करें। आपके द्वारा ग्राहक सम्मेलन में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए एन.ई.एफ.टी., आर.टी.जी.एस., आइ.एम.पी.एस. एवं व्यवसायिक चेक बुक जारी करने पर बैंक द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में संचालक मण्डल एवं कर्मचारियों के सहयोग से इस वर्ष बैंक ने रुपये 97.60 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। सभी सदस्य, व्यापारी, गुमास्ता, दलाल, एजेन्ट, हम्माल बंधु आदि से आग्रह है कि आप अपनी जमाएँ सभी खाते अपनी बैंक में ही रखें तथा कम ब्याज दर पर सभी ऋण सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें।

सभी सदस्यों, ग्राहकों, सहकारिता विभाग, रिजर्व बैंक, इन्दौर प्रीमियर को-ऑप. बैंक लि. के अधिकारियों तथा बैंक के संचालन हेतु बनाई गई विभिन्न समितियों के संचालकगण से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमें सतत् सहयोग प्राप्त हुआ है, इसके लिए हार्दिक आभार। साथ ही इस सत्र के समयावधि में जो सदस्य दिवंगत हुए है, उनके निधन पर बैंक परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। अंत में बैंक के सदस्यों, खातेदारों (ग्राहकों) एवं बैंक कर्मचारियों की निरंतर प्रगति एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

आपका ही

अमरीश दम्मानी

ग्राहकों के पहचान एवं पते हेतु लिए जाने वाले दस्तावेज

ग्राहकों की श्रेणी	पहचान पत्र	पते का प्रमाण पत्र
व्यक्तियों के लिये	1. आधार कार्ड 2. मतदाता परिचय पत्र 3. पैन कार्ड 4. ड्रायविंग लायसेन्स 5. पारपत्र (पासपोर्ट) 6. नरेगा कार्ड (उपरोक्त में से कोई एक दस्तावेज जो बैंक स्वीकार्य हो।)	1. आधार कार्ड 2. मतदाता परिचय पत्र 3. विद्युत बिल 4. ड्रायविंग लायसेन्स 5. पारपत्र (पासपोर्ट) 6. टेलीफोन बिल (उपरोक्त में से कोई एक दस्तावेज जो बैंक स्वीकार्य हो।) नोट : विद्युत बिल एवं टेलीफोन बिल 3 माह से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

उपसमितियाँ (दिनांक 17.10.2022 से)

ऋण समिति :-

1.	श्री अमरीश दम्मानी	–	अध्यक्ष
2.	श्री विजय कुमार जैन	–	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनिल कुमार नेमा	–	उपाध्यक्ष
4.	श्री शिवप्रकाश अजमेरा (दिनांक 18.06.2023 तक)	–	संचालक
5.	श्री केवल सोनी (दिनांक 18.06.2023 तक)	–	संचालक
6.	श्री मुकेश थावरानी (दिनांक 19.06.2023 से)	–	संचालक
7.	सुश्री अमिता पांचाल (दिनांक 19.06.2023 से)	–	संचालक

लेखा परीक्षण समिति :-

1.	श्री अमरीश दम्मानी	–	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश आजाद	–	संचालक
3.	श्री जगदीशचंद्र गुप्ता	–	संचालक
4.	श्री अशोक कुमार जैन	–	संचालक
5.	श्री वासुदेव मुंदड़ा	–	संचालक

क्रय समिति :-

1.	श्री अमरीश दम्मानी	–	अध्यक्ष
2.	श्री विजयकुमार जैन	–	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनिलकुमार नेमा	–	उपाध्यक्ष
4.	श्री कमलकिशोर लढ़ा	–	संचालक
5.	श्री मुकेश थावरानी	–	संचालक

ऋण वसूली समिति :-

1.	श्री अमरीश दम्मानी	–	अध्यक्ष
2.	श्री शिवप्रकाश अजमेरा	–	संचालक
3.	श्री राजेश आजाद	–	संचालक
4.	श्री जगदीशचंद्र गुप्ता	–	संचालक
5.	सुश्री अमिता पांचाल	–	संचालक
6.	श्री लेखराज केशवलेकर	–	संचालक

गव्हर्नमेन्ट सिक्युरिटी व विनियोजन समिति :-

1.	श्री अमरीश दम्मानी	–	अध्यक्ष
2.	श्री हंसराज जैन	–	संचालक
3.	श्री सौरभ पाटोदी	–	संचालक
4.	श्री केवल सोनी	–	संचालक
5.	श्री अशोक कुमार जैन	–	संचालक
6.	श्री वासुदेव मुंदड़ा	–	संचालक

स्टाफ समिति :-

1.	श्री अमरीश दम्मानी	–	अध्यक्ष
2.	पदेन सचिव	–	प्रबन्धक
3.	उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ	–	सदस्य

शाखा विस्तार समिति :-

1.	श्री अमरीश दम्मानी	–	अध्यक्ष
2.	श्री कमलकिशोर लढ़ा	-	संचालक
3.	श्री संतोषकुमार मुंदड़ा	–	संचालक
4.	श्री मुकेश थावरानी	–	संचालक
5.	श्रीमती मोनिका नीमा	–	संचालक
6.	सुश्री अमिता पांचाल	-	संचालक

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर

''स्थिति विवरण पत्रक''

गतवर्ष 21-22	पूंजी एवं दायित्व		राशि रूपये	राशि रूपये
	1. पूँजी			
	सदस्यों के लिए अधिकृत पूंजी रू. 100/- प्रति अंश के हिसाब से कुल अंश 400000			40000000.00
29279200.00	सदस्यों की बिक्री किये हुए अंश रू. 100/- प्रति अंश के हिसाब से कुल 291250/-			29125000.00
	01. व्यक्तिगत–		29125000.00	
	02. सहकारी संस्थाऐं–		0.00	
	03. राज्य शासन–		0.00	
	2. रक्षित कोष एवं अन्य निधि			
37628733.01	01. रक्षित कोष		39741753.01	
11274598.20	02. स्पेशल जनरल रिजर्व		11274598.20	
1517248.00	03. रिजर्व u/s 36 (1) VIII of I.T. Act.		1640367.00	
15432000.00	04. भवन एवं स्थाई सम्पत्ति निधि		15432000.00	
20859720.00	05. विनियोजन उतार–चढ़ाव रिजर्व		23689720.00	
2286269.73	06. नफा समीकरण निधि		2286269.73	94064707.94
	3. राज्य शासन की पूंजी अथवा			
0.00	**भागीदारी में विनियोजन**			0.00
	4. अमानतें			
	अ. मियादी अमानत			
634402347.00	01. व्यक्तिगत–	548038653.00		
110479146.00	02. अन्य संस्थाऐं–	85809907.00	633848560.00	
	ब. मियादी अमानत अतिदेय			
15475033.00	01. व्यक्तिगत–	9325466.00		
708221.00	02. अन्य संस्थाऐं–	1556735.00	10882201.00	
879342515.94	**c/f**		**644730761.00**	**123189707.94**

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर

31 मार्च 2023

गतवर्ष 21-22	संपत्ति एवं आस्तियाँ	राशि रूपये	राशि रूपये
12092709.00	1. नगदी सिल्लक कार्यालय में		10836581.00
	2. बैंकों में अतिशेष		
105765130.53	अ. चालू खाता 95658846.08		
- 14180606.00	घटाये पी एम सी बैंक प्रावधान 0.00	95658846.08	
0.00	ब. बचत खाता	0.00	
217000000.00	स. मियादी खाता	178000000.00	273658846.08
	3. मांग और अल्प सूचना पर प्रति देय राशि		0.00
	4. विनियोजन		
687397215.00	अ. केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां (फेस वेल्यू रू. 5150.00 लाख) (मार्केट वेल्यू रू. 5121.55 लाख)	514958704.00	
0.00	ब. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	
1000.00	स. सहकारी बैंकों एवं यूनिटी बैंक के अंश	4456970.00	
	द. अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	
36182000.00	1. टैक्स फ्री व अन्य बॉण्ड	36182000.00	
120000000.00	2. म्युच्युअल फण्ड (Debt)	85000000.00	
	3. युनिटी बैंक (PNCPS) 17823890		
	घटाये यूनिटी बैंक प्रावधान 16002248	1821642.00	642419316.00
	5. राज्य शासन के प्रमुख अथवा भागीदारी निधि में		0.00
	6. ऋण एवं अग्रिम		
	अ. सिक्युअर्ड अल्पावधि ऋण –		
5824812.00	1. मियादी तारण	2983821.00	
361557343.56	2. केश क्रेडिट	371937779.41	
4320179.05	3. सोना–चांदी	4136328.54	
76236.92	4. लघु उद्योग	76590.92	
36608206.47	5. चालू खाता ओव्हर ड्राफ्ट	33841081.83	
2275783.71	6. नेशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट तारण	3158926.01	
	ब. अनसिक्युअर्ड अल्पवधि ऋण –		
507.00	1. जमानती ऋण	507.00	
	सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर 0.00		
	अन्य मूर्त जमानतों पर 416134527.71		
	(डूबत एवं संशयित ऋण रू. 1687591.46)		
1574920517.24	c/f	416135034.71	926914743.08

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर

"स्थिति विवरण पत्रक"

गतवर्ष 21-22	पूंजी एवं दायित्व		राशि रूपये	राशि रूपये
879342515.94	B/F.		644730761.00	123189707.94
	स. अनिवार्य संचय			
108783305.49	1. व्यक्तिगत–	113829328.88		
905450.66	2. अन्य संस्थाएं–	956810.12	114786139.00	
	द. आवर्तक अमानत			
7610933.00	1. व्यक्तिगत–	6028633.00		
0.00	2. अन्य संस्थाएं–	0.00	6028633.00	
	ई. बचत अमानत			
565762300.31	1. व्यक्तिगत–	527370672.54		
29127283.72	2. अन्य संस्थाएं–	37969064.79	565339737.33	
	फ. चालू अमानत			
56347281.85	1. व्यक्तिगत–	53956140.32		
2534862.45	2. अन्य संस्थाएं–	630788.41	54586928.73	
22905091.70	ग. अग्रिमों के जमा शेष		22399563.13	1407871762.19
	5. अन्य बैंककारी कंपनियाँ, ऐजेंटो आदि से उधार (बैंकर्स, ओ.डी. एकाउन्ट)			
14283.29	1. मियादी अमानत तारण रखकर			35085.09
	6. वसूली के लिए स्वीकृत बिल्स "दोनों ओर समान जोड़"			
0.00	1. ओ.बी.सी.		0.00	
0.00	2. आय.बी.सी.		0.00	0.00
0.00	7. शाखा अंतर्गत खातों का मिलान			0.00
0.00	8. अतिदेय ब्याज रिजर्व			0.00
	9. ब्याज देना			
43782794.00	1. मियादी अमानत पर		29923303.00	
0.00	2. बचत अमानत पर		0.00	
930745.00	3. आवर्तक अमानत पर		632023.00	
4914562.00	4. मियादी अमानत अतिदेय पर		3011920.00	33567246.00
1722961409.41	**c/f**			**1564663801.22**

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर

31 मार्च 2023

गतवर्ष 21-22	संपत्ति एवं आस्तियाँ	राशि रूपये	राशि रूपये
1574920517.24	B/F	416135034.71	**926914743.08**
	स. सिक्युअर्ड मध्यावधि ऋण		
2812643.06	1. मकान तारण	4210442.54	
8379160.98	2. वाहन ऋण	36674905.04	
814334.25	3. उपभोक्ता हायपोथिकेशन ऋण	814334.25	
513814.97	4. लघु उद्योग	513814.97	
376742.74	5. कर्मचारी वाहन	364811.17	
	द. अनसिक्युअर्ड मध्यावधि ऋण		
8626156.78	1. जमानती ऋण	3446218.96	
2015024.00	2. असुरक्षित व्यापार ऋण	1824531.00	
14126.25	3. स्टेप–अप योजना ऋण	14126.25	
3772222.42	4. जमानती नियोक्ता ऋण	7514975.01	
	सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर 0.00		
	अन्य मूर्त जमानतों पर 42578307.97		
	(डूबत एवं संशयित ऋण रू. 7023448.82)		
	क. सिक्युअर्ड दीर्घावधि ऋण		
2010715.75	1. कर्मचारी मकान ऋण	1136916.75	
140890076.08	2. मकान बंधक ऋण	191192974.49	
	सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर 0.00		
	अन्य मूर्त जमानतों पर 192329891.24		
	(डूबत एवं संशयित ऋण रू. 1306664.25)		
10079.00	**ख. कर्मचारी अग्रिम**	133912.00	
0.00	**ग. बिल क्रय खाता**	0.00	663976997.14
	7. ब्याज लेना		
31167266.96	1. कालातित ऋण पर (कान्ट्रा)	31931249.36	
15856324.00	2. विनियोजन पर	22584290.00	54515539.36
	8. वसूली के लिए भेजे गये बिल्स "दोनों ओर समान जोड़"		
0.00	1. ओ.बी.आर.	0.00	
0.00	2. आय.बी.आर.	0.00	0.00
1792179204.48	**c/f**		**1645407279.58**

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर

''स्थिति विवरण पत्रक''

गतवर्ष 21-22	पूंजी एवं दायित्व	राशि रूपये	राशि रूपये
1722961409.41	B/F.		**1564663801.22**
	10. अन्य दायित्व एवं प्रावधान		
3068204.57	1. प्रबंधक धनादेश	10063996.66	
100584.00	2. बोनस देय	104390.00	
207030.00	3. अंकेक्षण शुल्क देय	348100.00	
0.00	4. आयकर देय	503000.00	
1235239.89	5. सन्ड्री खाता	880750.89	
789912.00	6. जिला संघ शुल्क देय	824162.00	
73026.00	7. लाभांश देय	86214.00	
1006139.45	8. परिवार कल्याण सहायता योजना	1006139.45	
1462249.00	9. चिकित्सा सहायता कोष	1519277.00	
1462750.00	10. शिक्षा प्रशिक्षण निधि	1589537.00	
533970.00	11. देय व्यय हेतु प्रावधान	583988.00	
93248.50	12. टी. डी. एस. व जी. एस. टी. देय	0.00	
548562.00	13. ड्राफ्ट देय	298835.00	
31167231.96	14. कालातीत ब्याज निधि (कान्ट्रा)	31931249.36	
23845000.00	15. संशयित एवं डूबत ऋण निधि	24629000.00	
2939000.00	16. संश. डूबत ऋण प्रावधान (उत्पादक-आस्तिया)	2939000.00	
377755.32	17. डिफर टेक्स लायबिलिटी	408286.32	
233730.22	18. धर्मादा निधि	239833.85	
0.00	19. स्वर्ण जयंती व्यय प्रावधान	1000000.00	78955759.53
8445595.63	**11. शुद्धलाभ (आयकर के पश्चात्)**		9760139.37
1800550637.95	**महायोग–**		**1653379700.12**
	समाश्रित दायित्व – ''आकस्मिक देनदारियाँ'' ''दोनों ओर समान जोड़''		
2050000.00	1. बैंक ग्यारंटी	2050000.00	
30064805.29	2. अन्य–	34511280.36	36561280.36
32114805.29	**योग –**		**36561280.36**

मे. नासा एण्ड एसोसियेटस
चाटर्ड अकाउन्टेन्ट (FRN 010276C)

सी.ए. अश्विन सेठी (पार्टनर)
सदस्यता नं. 401312

जगदीश बाहेती
प्रभारी मुख्य लेखापाल

राजेश वोरा
प्रभारी प्रबंधक

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर

31 मार्च 2023

गतवर्ष 21-22	संपत्ति एवं आस्तियाँ		राशि रूपये	राशि रूपये
1792179204.48	B/F.			1645407279.58
0.00	9. शाखा अंतर्गत खातों का मिलान			0.00
	10. प्रीमायसेस – भवन का मूल्य			
	31.03.22 तक की लागत	5852245.00		
	वर्ष में खरीदी	0.00	5852245.00	
	छीजन 31.03.22 तक	3192694.00		
2659551.00	वर्ष में छीजन जमा	94031.00	3286725.00	2565520.00
	11. फर्नीचर, फिक्चर्स एवं वाहन			
	31.03.22 तक की लागत	25559789.26		
	वर्ष में विक्रय	0.00		
	वर्ष में खरीदी	199697.00	25759486.26	
	छीजन 31.03.22 तक	20925258.79		
	वर्ष में विक्रय	0.00		
4634530.47	वर्ष में छीजन जमा	551561.86	21476820.65	4282665.61
	12. अन्य आस्तियाँ			
287561.00	1. स्टेशनरी लेखन सामग्री स्टॉक		244310.00	
0.00	2. एक्स ग्रेसिया रिसीवेबल		97552.93	
71250.00	3. म.प्र. विद्युत मण्डल डिपाजिट		63831.00	
718541.00	4. आयकर रिसीवेबल		718541.00	1124234.93
1800550637.95	**महायोग –**			**1653379700.12**

विजयकुमार जैन	अनिल कुमार नेमा	अमरीश दम्मानी
उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर
"लाभ हानि पत्रक"

गतवर्ष 21-22	व्यय	राशि रूपये	राशि रूपये
	1. ब्याज खर्च		
	अ. अमानतों पर ब्याज		
16853794.79	1. बचत अमानत	16890909.79	
47021646.00	2. मियादी अमानत	38160766.00	
4095086.00	3. अनिवार्य संचय अमानत	4269360.00	
552101.00	4. आर्वतक अमानत	417632.00	
		59738667.79	
35941.79	ब. बैंकर्स ओव्हरड्राफ्ट पर	284461.00	
54934.00	स. चिकित्सा सहायता कोष पर	57028.00	60080156.79
	2. वेतन एवं अलाउन्सेस		
29963639.00	1. वेतन	30792481.00	
100584.00	2. बोनस	104390.00	
1286470.00	3. भविष्य निधि अंशदान	1315820.00	
56932.20	4. लिव्ह इनकेशमेंट	61066.08	
1256917.54	5. ग्रेच्युटी	2705964.82	34979721.90
26000.00	3. डायरेक्टर्स एवं लोकल कमेटी फीस		0.00
	4. किराया, टेक्सेस, बीमा, प्रकाश व्यय		
1564128.00	1. किराया	1564128.00	
2028900.72	2. बीमा	1979743.26	
483894.00	3. प्रकाश व्यय	507269.00	
320811.00	12. संपत्ति कर	2280.00	
603469.52	12. जी.एस.टी.	519963.54	
2500.00	10. वृत्तिकर	2500.00	4575883.80
94000.00	5. कोर्ट एवं लीगल चार्जेस		1000.00
	6. डाक तार एवं टेलीफोन		
11590.00	1. डाक व्यय	40558.00	
140920.75	2. टेलीफोन	159371.76	199929.76
398020.00	7. अंकेक्षण शुल्क		389170.00
	8. भवन दुरूस्ती एवं छीजन		
104478.00	1. भवन पर छीजन	94031.00	
545626.00	2. फर्नीचर, फिक्चर्स पर छीजन	551562.00	645593.00
	9. स्टेशनरी, छपाई एवं विज्ञापन		
223517.74	1. स्टेशनरी एवं छपाई	270483.80	
47575.24	2. विज्ञापन	89580.00	360063.80
107873477.29	**c/f**		**101231519.05**

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर
दिनांक 31 मार्च 2023

गतवर्ष 21-22	आय	राशि रूपये	राशि रूपये
	1. ब्याज प्राप्त		
16621225.16	1. ऋण पर	16437763.70	
28371493.00	2. केश क्रेडिट पर	26993275.40	
2685047.00	3. चालू खाता ओव्हरड्राफ्ट पर	2349788.00	
0.00	4. बिल्स पर	0.00	
64179183.44	5. विनियोजन पर	61311239.46	**107092066.56**
47119.00	**2. कमीशन एक्सचेंज एवं ब्रोकरेज**		
0.00	कमीशन		**43660.00**
0.00	**3. सबसीडिज एवं डोनेशन**		**0.00**
0.00	**4. नॉन बैंकिंग स्वरूप मालमत्ता से लाभ**		**0.00**
	5. अन्य प्राप्तियाँ		
0.00	1. प्रवेश शुल्क	0.00	
5766624.29	2. लॉकर किराया	6162009.02	
2367986.96	3. विविध आय	2304093.26	
0.00	4. लाभांश प्राप्त	160414.90	
706000.00	5. प्रतिभूति घसारा प्रावधान रिवर्स	0.00	
0.00	6. केश क्रेडिट पर सर्विस चार्जेस एवं		
383794.02	सामयिक आय चालू खातों पर	329580.06	
1621000.00	7. प्रतिभूतियो के विक्रय से लाभ	0.00	
3819496.61	8. केपिटल गेन	7142771.78	**16098869.02**
126568969.48	**c/f**		**123234595.58**

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर
" लाभ हानि पत्रक "

गतवर्ष 21-22	व्यय	राशि रूपये	राशि रूपये
107873477.29	B/F.		101231519.05
0.00	10. नॉन बैंकिंग स्वरूप मालमत्ता से हुई हानि		0.00
	11. अन्य व्यय		
27767.00	1. स्थापना दिवस	15260.00	
57860.00	2. वाहन व्यय	84605.00	
0.00	3. प्रोफेशनल कन्सलटेन्सी	0.00	
145310.00	4. वार्षिक साधारण सभा व्यय	2113303.36	
360000.00	5. क्लियरिंग चार्जेस	360000.00	
150000.00	6. स्टॉफ वेले फेअर क्लब (रिक्रीएशन)	150000.00	
183900.00	7. जिला संघ का चंदा	218150.00	
273385.00	8. त्यौहार व्यय	228097.48	
220700.00	9. ट्रेनिंग व्यय	196000.00	
1763502.57	10. विविध	2093931.03	
0.00	11. स्टॉफ ड्रेस	71794.00	
200000.00	12. संशयित एवं डूबत ऋण	784000.00	
915683.67	13. कोर बैंकिंग साफ्टवेयर किराया	821516.29	
0.00	14. प्रतिभूतियों के विक्रय से हानि	921234.00	
0.00	15. प्रावधान स्वर्ण जयंती व्यय	1000000.00	
4789606.00	16. प्रावधान यूनिटी बैंक जमा	1821642.00	
188184.00	17. प्रावधान u/s 36 (1) VIII of I.T. Act.	123119.00	11002652.16
9419593.95	12. लाभ (आयकर के पूर्व) (–)		11000424.37
592300.00	13. आयकर		
	गत वर्ष का कर	8930.00	
	चालू वर्ष का प्रावधान	1200824.00	1209754.00
381698.32	14. डिफर टेक्स लायबिलिटी		30531.00
8445595.63	15. लाभ (आयकर के पश्चात्)		9760139.37
126568969.48	**योग –**		**123234595.58**

नासा एण्ड एसोसियेटस
चाटर्ड अकाउन्टेन्ट (FRN 010276C)

सी.ए. अश्विन सेठी (पार्टनर)
सदस्यता नं. 401312

जगदीश बाहेती
प्रभारी मुख्य लेखापाल

राजेश वोरा
प्रभारी प्रबंधक

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर
दिनांक 31 मार्च 2023

गतवर्ष 21-22	आय	राशि रूपये	राशि रूपये
126568969.48	B/F		123234595.58
126568969.48	**योग –**		**123234595.58**

विजयकुमार जैन
उपाध्यक्ष

अनिल कुमार नेमा
उपाध्यक्ष

अमरीश दम्मानी
अध्यक्ष

NASA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

104, Silver Sanchora Castle 7,
RNT Marg, Indore 01 (M.P.)

अंकेक्षण प्रमाण पत्र 2022–2023

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षक, यह प्रमाणित करते है कि हमने इंदौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका पंजीयन क्र. 130/73 दिनांक 01/03/1973 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 23 हुकुमचंद मार्ग पर स्थित है, का अंकेषण रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज मध्य प्रदेश के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण कर लिया है ।

बैंक के वित्तीय विवरणों जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 का तुलन पत्र तथा इस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ–हानि खाता विवरणी, वर्षांत के लिये नगदी प्रवाह विवरण एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित है, का लेखा–परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों में निगमित हमारे द्वारा अंकेक्षित 4 शाखाओं का विवरणियाँ है। हमारे अभिमत में हम रिपोर्ट करते है कि –

1. हमारे मतानुसार, बैंक के लेनदेन, जो कि हमारी जानकारी में आए, समिति के अधिकारों के अंतर्गत पाए गए ।हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाएँ गए। हमारे द्वारा की गई बैंक की पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर हमारी राय के अनुसार, समिति द्वारा कानूनी रूप से उचित बहीखाते रखे गये हैं।
2. तुलनपत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित है, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत मे सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिध्दांतो, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) कि धारा 31 एवं म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) तथा उसके नियमो के अनुरूप दि. 31 मार्च, 2023 को समिती के क्रियाकलापों का सही एंव निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।
3. हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाएँ गए।

4. बैंक के लेनदेन, जो कि हमारी जानकारी में आए, समिति के अधिकारों के अंतर्गत पाए गए।
5. बैंक के कार्यालय से प्राप्त विवरणी लेखा–परीक्षण के उद्देश्य के लिए उचित पाई गई है।
6. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत वित्तीय विवरण बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एवं म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमो के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखो में लाभ की सही स्थिती दर्शाता है।
7. नगदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस वर्ष के समाप्त हो रहे वर्षांत पर बनाया गया नगदी प्रवाह विवरण सही स्थिती दर्शाता है।
8. हम सहकारिता विभाग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार इंदौर क्लॉथ मार्केट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का "अ" श्रेणी में वर्गीकरण करते हैं एवं कुल 100 में से 81 अंक प्रदान करते हैं

वास्ते मे. नासा एण्ड एसोसिएट्स,
(सनदी लेखाकार)
(फर्म पंजीयन क्रमांक : 010276C)

सीए. अश्विन सेठी
(भागीदार)
सदस्यता क्र. – 401312
स्थान : इंदौर
दिनांक : 21.06.2023
UDIN : 23401312B07XXHC5693

महत्वपूर्ण लेखांकन नितियाँ

1. लेखा संधि

वित्तीय विवरणों को जब तक कि अन्यथा उल्लेख ना हो आम तौर पर परंपरागत आधार पर चल रही अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया है और वैधानिक प्रावधानों और प्रचलित लेखांकन मानदंडो के अनुरूप है।

2. निवेश

निवेश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित व्यापार के लिये धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणीयों में है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए में आवश्यकताओं के अनुरूप, इन्हें विभिन्न समूहो के तहत वर्गीकृत किया गया है।

2.1 वर्गीकरण का आधार

ए) परिपक्वता तक धारित

इस प्रकार का निवेश परिपक्वता तक पारित करने के इरादे से किया जाता है।

बी) व्यापार के लिए धारित

खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर व्यापार करने के इरादे से हासिल निवेश को इस श्रेणी तहत वर्गीकृत किया जाता है।

सी) बिक्री के लिए उपलब्ध

निवेश जो कि उपरोक्त दो शीर्षों में से किसी के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इस श्रेणी तहत वर्गीकृत किया जाता है।

2.2 मूल्यांकन का तरीका

निवेश आर बी आई दिशा निर्देश और प्रावधानों के अनुसार होगा।

ए) परिपक्वता तक धारित

इस श्रेणी में शामिल निवेशों को उनकी अधिग्रहण लागत प्रीमियम यदि कोई हो, पर अधिग्रहण पर भुगतान किया जाता है, परिपक्वता की शेष अवधि के दौरान सीधे लाइन विधि का उपयोग करके घसारा किया जाता है।

बी) व्यापार के लिए धारित / बिक्री के लिए उपलब्ध।

इन श्रेणियों के तहत निवेश को लागू मानदंडो के अनुसार प्रतिभूतियों और शुद्ध मूल्यहास एकत्रित किया जाता है, लाभ और हानि में प्रावधान किया जाता है, जब शुद्ध वृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

3. अग्रिम

ए) आर बी आई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में, उधारकर्ता को अग्रिम / ब्याज की वसूली के आधार पर निष्पादित या गैर–निष्पादित सम्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए को उप–मानक, संदिग्ध और हानि संपति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और उस पर प्रावधान आरबीआई द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदंडो के अनुसार किया जाता है।

बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडो के अधीन, अग्रिग की हानि के आकलन के आधार पर एनपीए के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए जाते है।

सी) एनपीए के संबंध में प्रावधान एनपीए पर अवास्तविक ब्याज कुल अग्रिम से कटौती की जाती है।

4. अचल सम्पतियाँ

अचल समपतियों को लागत पर दर्शाया गया है।

5. सम्पतियों पर मुल्यहास

आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार निर्धारित संपत्तियों पर मुल्यहास लेखामूल्य आधार पर किया गया है।

6. रिवन्यूशन रिकवरी

ए) आय / व्यय आम तौर पर समय–समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीए पर आय के मामले को छोड़कर प्रावधान के आधार पर माना जाता है, कमीशन एक्सचेंज लाकर्स किराया नकदी आधार पर लिया जाता है।

बी) एनपीए खातो से की गई रिकवरी को समय–समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पहले उपार्जित ब्याज से उसके बाद बकाया राशि में वसूली दशाई जाती है।

सी) आर बी आई से निर्देशों के संदर्भ में अतिदेय / परिपक्व सावधि जमा पर देय ब्याज को अर्जित आधार पर लिया गया है।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

ए) भविष्य निधि में योगदान लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

बी) कर्मचारियों को एकत्रित छुट्टी लाभ एवं ग्रेच्युटी के संबंध में देयताए भारत के चार्टर्ड अकाउण्ट संस्थान द्वारा जारी एएस–15 के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार प्रदान की जाती है।

सी) पैशन अब तक लागू नहीं है।

8. मान्य संपत्तियां

ऑपरेटिंग पटे पर ली गई संपत्तियों के लिए लीज भुगतान भारत के चार्टर्ड अकाउण्ट संस्थान द्वारा जारी एएस–19 के अनुसार लीज अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते के तहत किया जाता है।

9. शुद्ध लाभ

अग्रिम के प्रावधान निवेश के मूल्य में समायोजन और अन्य आवश्यक प्रावधानों के बाद शुद्ध लाभ आया है।

10. आय पर कर

ए) चालू वर्ष के लिए आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य आय के आधार पर निर्धारित किए जाते है।

बी) डैफर्ड टैक्स की गणना लेखा पुस्तक अनुसार कर योग्य आय एवं आयकर अधिनियम के अनुसार कर योग्य आय के अन्तर से बनाया गया है। यह आय सम्पत्तियों के मूल्यहास में आये अंतर से इस सीमा तक बढ़ाने के पर्याप्त कारण है। जो कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होने पर डैफर्ड टैक्स से वह राशि को समायोजित की जा सकेगी।

11. सम्पतियों की हानि

किसी भी आंतरिक एवं बाहरी कारणों के सम्पति के बाजार मुल्य के कम होने पर सम्पति की दर्शाई गई राशि के समीक्षा कर यदि बुक वैल्यू कम होती है तो उसे उस वर्ष के लाभ हानि खाते में उनकी राशि को नामे किया जाता है। इसी प्रकार यदि बाजार मूल्य बाद में अधिक हो जाती है तो उसकी मूल राशि तक रिवर्स किया जाता है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक सम्पत्तियाँ

भारत के चार्टड अकाउंट संस्थान द्वारा जारी लेखाकन मानक–29 (अकाउटिंग स्टैण्डर्ड.29) ''प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां'' के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को केवल तभी दर्शाया जाता है, जब पिछली किसी घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान में कोई दायित्व होता है, और जब यह संभावना हो कि उस दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है ।

13. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए प्रबंधन को चाहिए कि, वित्तीय विवरणों की रिपोटिंग तिथि एवं रिपोटिंग अवधि के लिए दिए आय और व्यय एवं संपत्ति और दायित्व, आकस्मिक देनदारियों सहित दर्शायी गयी राशि जो अनुमान लगाने के लिए सही एवं उचित हो प्रबंधन का मानना है, कि वित्तीय विवरण में दर्शायी गयी राशि विवेकपूर्ण और उचित है भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं । जब तक अन्यथा न कहा जाए, इन लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है ।

INDORE CLOTH MARKET CO-OP. BANK LTD. INDORE

In Tems of RBI Circular UBC.CO.BPD.(PCB) Cir.No. 52/12.05.001/2013-14 Dt. 25.03.2014

S. No.	Particulars	31.03.2023	31.03.2022
1.	**Capital to Risk Assets Ratio**	16.49%	16.78%
2.	**Movement of CRAR :**		
	Tier I Capital	955.73	951.31
	Tier II Capital	333.35	300.66
	Total Capital	1289.08	1251.97
	Total Risk Assets	7816.16	7460.04
	Capital Ratios		
	Tier I Ratios	12.23%	12.75%
	Tier II Ratios	4.26%	4.03%
	Total Capital Ratios	16.49%	16.78%
3.	**Investment**		
	a. Book Value	6424.19	6893.97
	b. Face Value	6424.61	6875.00
	c. Market Value	6504.15	7008.08
	d Issuer Composition of Non SLR Investments		
	1. PSU's	361.82	361.82
	2. FI's	0.00	0.00
	3. Public Sector Bank	0.00	0.00
	4. Mutual Funds	850.00	1200.00
	5. Others	222.81	0.00
	6. Provision Held towards Depreciation	160.02	0.00
	e. Non-Performing Non SLR Investment	0.00	0.00
4.	**Advances Against**		
	a. Real Estate	Nil	Nil
	b. Construction Business	Nil	Nil
	c. Housing	1812.12	1352.25
5.	**Advances against share & Debentures**	Nil	Nil
6.	**Advances to Director, Their relatives. Companies/Firm in which they are intrested**		
	Fund based	0.00	0.00
	Non-Funded based	0.00	0.00
7.	**Averages Cost of Deposits**	4.11%	4.50%
8.	**NPAs :**		
	Gross NPAs	100.18	104.47
	% of Gross NPAs to Loans	1.51	1.80
	Net NPAs	-146.11	-133.98
	% Net NPAs	0.00	0.00
9.	**Movement of NPA :**		
	Principal		
	Opening amount	104.47	102.82
	Addition	217.64	280.04
	Recovery	221.93	278.39
	Closing Principal	100.18	104.47
	Provision		
	Opening Provision	238.45	236.45
	Additions / Deletion	7.84	2.00
	Closing Provision	246.29	238.45
	Overdue interest reserve (OIR/INC)	0.00	0.00
10.	**Profitability**		
	a) Interest income as a percentage of Working funds	6.60%	6.37%
	b) Non Interest income as a percentage of Working funds	1.00%	0.84%
	c) Operating Profit as a percentage of Working funds	0.68%	0.77%
	d) Return on Assets	0.60%	0.48%
	e) Business (Deposit + Advances) per employee	345.31	328.61
	f) Profit per employee	1.95	1.30
11.	**Provision made in the year towards :**		
	NPA (BDDR)	7.84	2.00
	Depreciation in Investments	0.00	0.00
	Standard Assets	0.00	0.00
12.	**Movement in Provisions :**		
	a) Towards NPA (BDDR)		
	Opening Provision	238.45	236.45
	Additions	7.84	2.00
	Reduction	0.00	0.00
	Closing Balance	246.29	238.45
	b) Towards Depreciation on Investment		
	Opening Provision	0.00	7.06
	Additions	0.00	0.00
	Reduction	0.00	7.06
	Closing Balance	0.00	0.00
	c) Towards Standard Assets		
	Opening Provision	29.39	29.39
	Additions	0.00	0.00
	Reduction	0.00	0.00
	Closing Balance	29.39	29.39
13.	Foreign currency assets & liabilities : (if applicable)	N/A	N/A
14.	Payment of Insurance premium to DICGC	upto 31.03.23	upto 31.03.22
15.	Penalty imposed by RBI	0.00	0.00
16.	Restructured Accounts	NIL	NIL
17.	Fixed Assets - Valuation / Revaluation	NIL	NIL
18.	Earning Per Share	33.51	28.84
19.	Deaf amount sent to RBI	345.11	300.65

INDORE CLOTH MARKET CO-OP- BANK LTD., INDORE

STATEMENT OF CASH FLOWS - 2022-23	2022-23 (Rs. In Lacs)	2021-22 (Rs. In Lacs)
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before taxation	110.00	94.20
Adjustments for:		
Depreciation	6.46	6.50
Provision from Profit (Non Cash Items)	50.66	51.78
Provision from Cash Balance with PMC Bank	0.00	(47.90)
Investment income	(613.11)	(641.79)
Interest Expenses	2.84	0.36
Profit / (Loss) on the sale of assets and investments	(71.43)	(54.40)
Working capital changes:		
(Increase) / Decrease in trade and other receivables	(990.63)	310.82
Increase / (Decrease) in trade and other payables	(1533.97)	(201.84)
Cash generated from operations	(3,039.18)	(482.27)
Income taxes paid	-12.40	-5.92
Dividends paid	34.96	-
Net cash from operating activities	(3,016.62)	(488.19)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Business Acquisitions, net of cash acquired		
Purchase of assets	-2.00	-
Proceeds from sale of assets		
Dividend paid	-34.96	-35.42
Acquisition of portfolio investments	-62.78	-5.547.44
Proceeds from sale of investments	2,145.81	4,859.22
Investment income	613.11	641.79
Net cash used in investing activities	2,659.19	(81.85)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from new share capital		2.47
Repayment of share capital	-1.54	-5.64
Proceeds from Short-term borrowings		0.05
Payment of long-term borrowings	-	-
Interest paid	-2.84	-0.36
Net cash used in financing activities	(4.39)	(3.48)
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	-361.82	-571.89
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD	3,206.77	3,780.29
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD	2,844.95	3,206.77

Schedules referred to above from an integral part of the
As per our report of even date attached

Place : Indore

For NASA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 010276C

CA. Ashwin Sethi
Partner
MRN: 401213

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लि., इन्दौर
अनुमानित आय–व्यय पत्रक वर्ष – 2024-25
(संचालक मण्डल द्वारा अनुशंसित)

क्र.	व्यय	रकम	क्र.	आय	रकम
1.	अमानतों पर ब्याज	73625000.00	1.	विनियोजन पर ब्याज	56542000.00
2.	बैंकर्स ओव्हरड्राफ्ट पर ब्याज	300000.00	2.	ऋणों पर ब्याज	24300000.00
3.	वेतन एवं पारिश्रामिक	36975000.00	3.	केश क्रेडिट पर ब्याज	42300000.00
4.	प्र.व्यय प्रा. फण्ड	1636000.00	4.	चालू खाता ओव्हरड्राफ्ट पर ब्याज	3510000.00
5.	बोनस	210000.00	5.	कमीशन	56000.00
6.	लिव्ह इनकेशमेंट	724000.00	6.	सामयिक आय–चालू खातों पर	580000.00
7.	ग्रेज्यूटी	3273000.00	7.	लॉकर किराया	7200000.00
8.	डायरेक्टर एवं लोकल कमेटी फीस	75000.00	8.	विविध आय	2880000.00
9.	बीमा	2619000.00	9.	लाभांश प्राप्त	200000.00
10.	शाखा किराया	2312000.00	10.	केपीटल गेन	5000000.00
11.	प्रकाश व्यय	856000.00			
12.	टेलीफोन व्यय	192000.00			
13.	पोस्टेज	75000.00			
14.	लीगल चार्जेस	150000.00			
15.	विज्ञापन	200000.00			
16.	स्टेशनरी एवं छपाई	524000.00			
17.	छीजन चल संपत्ति एवं भवन	1200000.00			
18.	ऑडिट फीस	580000.00			
19.	स्टॉफ ड्रेस	100000.00			
20.	वार्षिक साधारण सभा व्यय	600000.00			
21.	स्टॉफ रिक्रियेशन	150000.00			
22.	स्थापना दिवस व्यय	40000.00			
23.	लायब्रेरी	10000.00			
24.	त्यौहार व्यय	450000.00			
25.	प्रावधान - U/S, 36(1) VIII of IT Act	250000.00			
26.	क्लियरिंग संबंधित चार्जेस	520000.00			
27.	संपत्ति कर	175000.00			
28.	जिला संघ का चंदा	240000.00			
29.	कोर बैंकिंग चार्जेस	1500000.00			
30.	ट्रेनिंग व्यय	290000.00			
31.	वाहन व्यय	200000.00			
32.	प्रवास व्यय	100000.00			
33.	वृत्तिकर	3000.00			
34.	लिव्ह फेअर कन्सेशन	100000.00			
35.	प्रोफेशनल कन्सलटेंसी	400000.00			
36.	विविध व्यय	2650000.00			
37.	सर्विस टैक्स/जीएसटी	700000.00			
38.	संशयित डूबत ऋण	950000.00			
39.	आयकर	1150000.00			
40.	बैंक के निर्वाचन हेतु प्रावधान	400000.00			
41.	शुद्ध अनुमानित लाभ	6064000.00			
	योग -	**142568000.00**		योग-	**142568000.00**

जगदीश बाहेती	राजेश वोरा	अमरीश दम्मानी
प्रभारी मुख्य लेखापाल	प्रभारी प्रबन्धक	अध्यक्ष

वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय हुआ है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। बजट से अधिक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	स्वीकृत बजट	वास्तविक खर्च एवं प्रावधान	बजट से अधिक व्यय
1.	बैंकर्स ओवर ड्रॉफ्ट पर ब्याज	200000	284461	84461
2.	ग्रेच्युटी	1812000	2705964.82	893964.82
3.	वार्षिक साधारण सभा	500000	2113303.26	1613303.26
4.	जिला संघ का चंदा	190000	218150	28150
5.	विविध व्यय	1886000	2093931.03	207931.03
6.	प्रतिभूति के विक्रय से हानि	-	921234	921234
7.	स्वर्ण जयंती व्यय प्रावधान	-	1000000	1000000
8.	युनीटी SAB (PNCPS) प्रावधान	-	1821642.00	1821642.00

बैंक के संचालकों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों एवं निकट के नातेदारों के कालातीत (ओव्हरडयू) ऋणों की जानकारी दिनांक 31.03.2023 - निरंक

(म.प्र. सहकारिता अधिनियम की धारा –43 तथा उपविधि क्र. 44 के अंतर्गत)

प्रस्तावित लाभ विभाजन, वर्ष 2022-2023

संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 14.07.2023 में अनुसंशित

	वितरण योग्य लाभ	रूपये 97,60,139.37
क्र.	विवरण	राशि रूपये
1.	रक्षित कोष – 25 प्रतिशत	24,40,100.00
2.	जिला संघ चंदा	0.00
	(भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार लाभ–हानि खाते में नामें किए गए)	
3.	प्रस्तावित लाभांश 12% से	34,84,750.00
4.	भवन एवं स्थायी सम्पत्ति निधि	30,00,000.00
5.	साइबर सिक्युरिटी रिजर्व फण्ड	8,30,000.00
6.	धर्मादा निधि	5,289.37
	योग–	**97,60,139.37**

जगदीश बाहेती	राजेश वोरा	अमरीश दम्मानी
प्रभारी मुख्य लेखापाल	प्रभारी प्रबन्धक	अध्यक्ष

एक मुश्त समझौता योजना

1. **प्रस्तावना**– नागरिक सहकारी बैंकों के द्वारा वितरित ऋणों का एक बहुत बड़ा भाग कालातीत होकर अवरुद्ध कालातीत ऋण के रूप में परिवर्तित हो गया है। ऐसे कालातीत ऋणों की वसूली के सभी प्रयास करने के बाद भी ऋणों की वसूली काफी लंबे अंतराल से नहीं हो पा रही है, जिससे बैंकों के समक्ष कार्य–व्यवस्था हेतु नकदी (तरलता) की समस्या निर्मित हो गयी है। इस योजना में ऐसे सभी अनर्जक खाते जो कि व्यापारिक गतिविधि या अन्य उद्देश्य से अग्रिम के रूप में दिये गये हैं और वे अनर्जक ऋण की श्रेणी में दिनांक 31 मार्च 2020 पर वर्गीकृत है, को विचार एवं निराकरण हेतु योजना में शामिल किया जावेगा। वर्ष 2023–24 में इस योजना अंतर्गत किये जाने वाले समझौतों हेतु कट ऑफ डेट 31.03.2020 होगी। योजना प्रथमतः संचालक मंडल/प्रशासक की बैठक में रखी जाकर विधिवत सर्वसम्मति से अंगीकार किये जाने पर लागू होगी। शहरी नागरिक सहकारी बैंकों के कालातीत ऋणों की वसूली के लिए निम्नानुसार एकमुश्त समझौता योजना तैयार की गई है।

(2) **योजना का नाम** – यह योजना **'नागरिक सहकारी बैंकों के कालातीत ऋण प्रकरणों की एकमुश्त समझौता योजना 2023'** के नाम से जानी जावेगी।

(3) **योजना अन्तर्गत लिये जाने वाले ऋणों की सीमा** – व्यक्तिगत खातों के लिए अधिकतम राशि रू. 50.00 लाख ब्याज सहित तथा संस्थागत खातों के लिए राशि रू. 500.00 लाख ब्याज सहित एकमुश्त समझौता अन्तर्गत सीमा निर्धारित की जाती है।

(4) **उद्देश्य**–

4.1 कालातीत ऋणों की वसूली प्राप्त करना ।

4.2 वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण ।

4.2 अवरुद्ध राशि प्राप्त होने से सक्षमता पूर्वक व्यावसायिक उपयोग ।

4.3 अनर्जक (अवमानक / डूबत एवं संदिग्ध / हानिगत संपत्ति) ऋण प्रकरणों में अवरूद्ध हुई राशि की वसूली।

(5) **समझौता हेतु पात्रता /अपात्रता**

पात्रताः–(अ) व्यवसायिक गतिविधि/उद्देश्य की प्रकृति का भेद करते हुए सभी क्षेत्रों से संबंधित ऐसे ऋण जो कि अनर्जक आस्तियां (अवमानक 'डूबत एवं संदिग्ध' हानिगत संपत्ति) के रूप में 31.03.2020 को वर्गीकृत है। उन पर यह योजना लागू होगी।

(ब) यदि ऋणी की मृत्यु हो गयी हो तो ऐसे ऋणगृहिता के उत्तराधिकारी या रिश्तेदार अथवा कालातीत ऋणी सदस्य के जमानतदार योजना में शामिल होना चाहते हो तो वे मृत ऋणी की ओर से समझौता करने हेतु पात्र होंगे।

परन्तु इसके तहत निम्नलिखित ऋण अपात्र होगे :–

अपात्रता– **5.1** गबन, धोखाधड़ी के प्रकरणों से संबंधित हितग्राही इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

5.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश के अंतर्गत 'जानबूझकर चूककर्ता (विलफुल डिफाल्टर)' के रूप में वर्गीकृत न हो ।

5.3 ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें वसूली वेतन इत्यादि से जोड़कर निश्चित की गई थी।

5.4 बैंक संचालकों द्वारा गारंटीकृत ऋण प्रकरण या संचालकों के निकट संबंधियों या ऐसी फर्म कंपनी या संस्थान जिसमें संचालक स्वयं इच्छुक हो या हितबद्ध हो या नागरिक बैंक के वर्तमान एवं पूर्व संचालकों व उनके रिश्तेदारों से संबंधित ऋण प्रकरण ।

5.5 शासन द्वारा गारंटीकृत ऋण प्रकरण (ऐसे ऋण प्रकरण जिसमें शासकीय गारंटी इनवोक होने के बाद भी शासन द्वारा भुगतान न किया गया हो।)

5.6 शासकीय विभाग या शासकीय उपक्रमों से वसूली योग्य ऋण।

5.7 शासन द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत वितरित ऋण।

5.8 ऋणी द्वारा यदि पूर्व में एकमुश्त योजना का लाभ लिया हो तो उस ऋणी से संबंधित समस्त ऋण।

(6) निपटान का फार्मूला एवं शर्ते– – कमांक 5.1 से 5.8 तक अंकित अपात्र ऋणी को छोडकर योजना अंतर्गत पात्रता होने पर निम्नानुसार फार्मूले के आधार पर प्रकरण का निपटारा किया जावेगा :–

6.1 कोई भी खाता जो तीन वर्षो पूर्व अर्थात 31.03.2020 में एन.पी.ए. (अवमानक संदिग्ध, हानि) संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा।

6.2 विगत तीन वर्ष पूर्व अर्थात दिनांक 31.03.2020 की स्थिति पर या इसके पूर्व अंतिम बार एन.पी.ए.में वर्गीकृत के तोर पर संचालक मंडल प्रशासक द्वारा अवलोकित/अनुमोदित एन.पी.ए. खातों में उस तारीख पर ब्याज/दण्ड ब्याज एवं अन्य व्यय सहित कुल बकाया 100 प्रतिशत राशि,जिस तिथि पर खाता एन.पी.ए. की श्रेणी में अंतिम बार वर्गीकृत हुआ हो. वह राशि मूल ऋण अवशेष राशि (मूलधन) के रूप में वसूल की जाएगी तथा इसके पश्चात एन.पी.ए. में वर्गीकृत किये जाने की दिनांक से समझौता दिनांक तक एन.पी.ए. दिनांक की मूल ऋण अवशेष राशि (मूलधन) पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से गणना करके परिगणित राशि का 50 प्रतिशत ब्याज एवं एन.पी.ए. दिनांक तक का पूरा मूलधन समझौता दिनांक तक वसूल किया जाएगा।

6.3 सभी खातों में जिनमे समझौता किया गया है एन.पी.ए. में अंतिम बार वर्गीकृत होने के बाद से लेकर समझौता दिनांक तक यदि किसी राशि की वसूली होती है तो उपरोक्त पैरा 6.2 पर निर्धारित की गई समझौता राशि में से घटाया जायेगा।

6.4 यदि किसी ऋणी द्वारा एकमुश्त समझौता योजना का लाभ लिया है और इसके बाद लिया गया ऋण भविष्य की किसी भी एक मुश्त समझौता योजना/वेवर (WAIVER) योजना का लाभार्थी बनने के लिए अपात्र होगा।

6.5 एक मुश्त समझौता योजना के तहत लाभ लेने वाला ऋणी व्यक्ति आगामी तीन वर्ष तक दोबारा ऋण लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

6.6 इस योजना के अंतर्गत ऋणों का वर्गीकरण (यथा अवमानक संदिग्ध हानि आस्तियाँ) वही माना जायेगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उक्त के संबंध में समय–समय पर जारी अद्यतन मार्गदर्शी परिपत्रों में उल्लेखित होगा।

6.7 उक्तानुसार किये गये समझौते में वसूली योग्य राशि एक किश्त में वसूल की जानी चाहिए। यदि खातेदार एक किश्त में भुगतान नहीं कर सकता है तो कम से कम 25 प्रतिशत राशि समझौता होने पर तत्काल वसूल की जानी चाहिए तथा शेष रही राशि को समझौता दिनांक से एक वर्ष की अवधि में 3 समान किश्तों में पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम से जमा कराना चाहिए।

6.8 यदि इस कंडिका (6.7) में वर्णित निर्देशों के अनुरूप ऋणी द्वारा समझौता राशि जमा नहीं की जाती है तो यह समझौता संपूर्ण रूप से निरस्त माना जावेगा एवं ऋणी द्वारा जमा की गयी किसी भी राशि को सामान्य रूप से जमा की गयी वसूली राशि ही माना जावेगा एवं खाते में समझौता न होने की स्थिति में बकाया राशि में से ऋणी द्वारा जमा राशि कम करके शेष राशि ऋणी से वसूली योग्य मानी जावेगी।

6.9 समझौते की स्थिति में एन. पी.ए ऋणी की यदि कोई राशि अधिक वापसी निकलती है, तो वह राशि वापस नहीं होगी।

6.10 बैंक द्वारा समझौता योग्य प्रकरणों में ऋणों पर ब्याज की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश यू.बी. डी. एन. ओ. डी. एच.पी.सी.बी.सी. आई. आर–24/13400/2002–03, दिनांक 29.10.2002 तथा अद्यतन तक संशोधित परिपत्रों के निर्देशों के अंतर्गत प्रभारणीय न्यूनतम ब्याज होगा।

(7) **दण्ड ब्याज तथा अन्य वसूली योग्य राशियों का समायोजन**

7.1 दण्ड ब्याज, वैधानिक व्यय तथा अन्य व्ययो को माफ करने का निर्णय संचालक मण्डल/प्रशासक द्वारा लिया जा सकता है परन्तु संचालक मंडल/प्रशासक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार के निर्णय में पारदर्शिता रहे एवं समस्त पात्रताधारी कालातीत ऋणी सदस्यों पर यह समान रूप से लागू होगा ।

7.2 संचालक मण्डल प्रशासक द्वारा यदि दण्ड ब्याज वैधानिक व्यय तथा अन्य व्ययों को माफ करने का निर्णय लिया जाता है, तो इस प्रकार की निर्णीत राशि को पेरा क्रमांक 6.2 की वसूली योग्य समझौता राशि से घटाया जावेगा ।

(8) **सक्षम अधिकारी :–**

8.1 यह योजना लागू करने हेतु नागरिक बैंक के संचालक मण्डल/प्रशासक द्वारा निर्णय पारित किया जावेगा, जो सहकारी समितियां अधिनियम, नियम तथा समय समय पर जारी परिपत्रों तथा पंजीयक, सहकारी संस्थाओं द्वारा समय–समय पर लागू किये गये निर्देश पत्रों के अनुकूल होगा। समझौता लागू करने के लिए बैंक स्तर पर समिति गठित की जायेगी जो कि इस योजना के अंतर्गत आये प्रत्येक आवेदन कर उन पर अपनी टीप अंकित करेगी. एवं तदउपरांत प्रकरण स्वीकृति हेतु संचालक मण्डल/प्रशासक के समक्ष रखे जायेंगे समझौते के अंतर्गत दंड ब्याज तथा अन्य व्ययों के माफ/शिथिलता संबंधी सभी निर्णय संचालक मंडल/प्रशासक द्वारा लिये जा सकेंगे। जो कि सहकारी अधिनियम, नियम तथा समय समय पर पंजीयक द्वारा जारी प्रशासकीय परिपत्रों के अंतर्गत होंगे परन्तु इस योजना में किसी भी तरह का संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन, विलोपन या विभेद नहीं किया जा सकेगा।

8.2 बैंक के अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि सांविधिक या सतत अंकेक्षक द्वारा प्रकरण की पात्रता एवं छूट की राशि की गणना का पूर्व अंकेक्षण हो जाये, तदउपरांत ही छूट प्रदान करने हेतु समझौता किया जावे। इस एक मुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन में विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर बैंक के अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

8.3 उत्तरदायित्व का निर्धारण :– ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें दस्तावेजों के निष्पादन में हुई त्रुटियों/कमियों/चूकों के कारण असुरक्षित ऋण एन.पी.ए. होने के आधार पर बैंक को समझौता करना पड़ा है। इस संबंध में दोषियों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण भी सलाहकार समिति द्वारा किया जाकर अपनी अनुशंसा सहित टीप संचालक मंडल प्रशासक एवं संबंधित संविधिक अंकेक्षक को भेजी जावेगी। बैंक संचालक मंडल/प्रशासक दोषियों के विरुद्ध विधि अनुरूप युक्तियुक्त कार्यवाही करेगा। संविधिक अंकेक्षक अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों पर तथा प्रकाश में आये अन्य तथ्यों पर की गयी अग्रेतर कार्यवाही पर रिपोर्टिंग करेंगे।

(10) **समझौता योजना सलाहकार समिति**

(क) एक मुश्त समझौता योजना सलाहकार समिति का गठन

प्रत्येक बैंक का संचालक मंडल/प्रशासक अपने मुख्यालय स्तर पर एक समझौता योजना सलाहकार समिति का गठन करेगा। जिसमें अध्यक्ष तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी, नागरिक बैंक शामिल होंगे तथा एक सलाहकार जिसे कि बैंक, वित्त प्रबंधन या विधि क्षेत्र का उच्च स्तर का अनुभव हो या बैंक के बैंकिंग विशेषज्ञ संचालक को शामिल किया जावे। ऐसा पदाधिकारी/अधिकारी जिसने ऋण वितरण में अपनी शक्तियों का उपयोग किया है और वह ऋण प्रकरण एन.पी.ए. में परिवर्तित हो गया है उन्हें इस एकमुश्त समझौता सलाहाकार समिति की उस बैठक विशेष में जिसमे एन.पी.ए. ऋण के समझौते पर निर्णय होना है, में शामिल नहीं किया जावेगा। समझौता समिति मात्र पात्र ऋणी व्यक्तियों से ही समझौता करने की अनुशंसा कर सकती है।

(ख) एकमुश्त समझौता योजना सलाहकार समिति की कार्य प्रणाली

बैंक का संचालक मंडल/प्रशासक इस कार्य हेतु एक दिशा निर्देश तथा कार्यप्रणाली बना सकता है तथा एकमुश्त समझौता योजना सलाहकार समिति इस एक मुश्त समझौता योजना के अनुरूप समस्त योग्य एनपीए प्रकरणों को समझौते के लिए स्वीकार कर सकती है जो कि म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 बैंक को पंजीकृत उपविधियों तथा पंजीयक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अंतर्गत हो । समझौते के लिए संचालक मण्डल/प्रशासक को अधिकृत किया गया है, अतः वे समझौता सलाहकार समिति की अनुशंसा पश्चात म०प्र० सहकारी सोसाइटी अधिनियम, नियम, उपविधियों के प्रावधानों, परिपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेंगे। प्रत्येक माह संचालक मण्डल/प्रशासक समझौता सलाहकार समिति की अनुशंसाओं की समीक्षा करेगा तथा समझौते की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।

(11) **अन्य ऋण चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही :–**

ऐसे अन्य ऋण प्रकरणों में जहां ऋणों के पुनर्भुगतान प्रक्रिया संभव नहीं है तथा चूककर्ता समझौते के लिए सामने नहीं आ रहे हैं वहाँ अविलंब उनके विरुद्ध वसूली हेतु वाद दायर करना चाहिए तथा नागरिक बैंकों को दायर किये वाद प्रकरणों में तत्परता से संबंधित न्यायालय में कार्यवाही कर उनके निर्णय निर्णीत कराने में रूचि लेनी चाहिए ताकि वसूली की जाने वाली राशि शीघ्रतिशीघ्र वसूली की जा सके।

(12) **समझौता योजना का कियान्वयन–**

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म०प्र० भोपाल द्वारा स्वीकृत योजना में कोई संशोधन पंजीयक की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
2. योजना के अंतर्गत समझौतों के निपटान में उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद होने पर पंजीयक सहकारी संस्थायें, म०प्र० भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

(13) **सामान्य निर्देश :–**

13.1 एक मुश्त समझौता योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा। समस्त हितग्राहियों को एकमुश्त समझौता योजना की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों द्वारा दी जावेगी। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम नगर पालिका उपायुक्त सहकारिता के कार्यालयीन सूचना पटल पर तथा बैंक के सूचना पटल पर भी विधिवत प्रदर्शित की जायेगी।

13.2 ऋणी की यदि मृत्यु हो गयी हो ऐसे ऋणगृहिता के उत्तराधिकारी या रिश्तेदार अथवा ऋणियों के जमानतदार योजना में शामिल होना चाहते हो तो वे मृत ऋणी की ओर से समझौता करने हेतु पात्र होंगे। यदि किसी प्रकरण में हितग्राही सेवानिवृत्त हो गया हो तो सेवानिवृत्ति पर स्वयं द्वारा यदि एक मुश्त समझौता किया जाता है तो उसे मान्य किया जायेगा।.

13.3 एनपीए प्रकरणों में सक्षमतापूर्वक कमी लाने तथा नवीन एनपीए प्रकरणों में वृद्धि न होने देने के लिए सक्षम/सार्थक व्यवस्था 'प्रणाली बैंक स्तर पर तैयार की जानी चाहिए। बैंक संचालक मंडल/प्रशासक द्वारा आंतरिक अंकेक्षण की प्रभावी व्यवस्था करना चाहिए तथा बैंक प्रबंधन को आंतरिक अंकेक्षण में पाई गई कमियों को एक सप्ताह में निराकृत करना चाहिए।

13.4 योजना का लाभ वही बैंक ले सकेंगे जिनके द्वारा राईट आफ किये जाने वाली राशि का अपने वित्तीय पत्रकों में आर.बी.आई. की गाईड लाईन अनुसार पूर्व से प्रावधान कर दिया गया हो। यदि बैंक द्वारा उक्तानुसार राशि का प्रावधान अपनी लेखा पुस्तकों एवं वित्तीय पत्रकों में नहीं किया गया है परन्तु संबंधित बैंक यदि उक्त प्रावधान किये जाने योग्य राशि का प्रावधान कर देने पर भी लाभ में हैं तो ही बैंक संचालक मंडल/प्रशासक समझौता अंगीकार करें अन्यथा अन्य पात्र प्रकरणों में समझौता किये जाने के पूर्व बैंक संचालक मंडल/प्रशासक के कारण सहित स्पष्ट प्रस्ताव (यदि प्रस्ताव बैंक क अर्थिक हित में हो) के आधार पर संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा परीक्षणोपरात पात्र प्रकरण पाये जाने पर बैंक द्वारा एक मुश्त समझौता किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की जा सकेगी वशर्ते ऐसा किया जाना बैंक के हित में हो। तदउपरांत बैंक संचालक मंडल/प्रशासक द्वारा समझौतो को अनिवार्यतः अंगीकार किये जाने पर ही समझौता हो सकेगा।

13.5 ऐसे एन.पी.ए. प्रकरणों में जहाँ पर सक्षम न्यायालय/अधिकरण में वाद दायर किये गये है, इन प्रकरणो मे समझौता के लिये निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय/अधिकरण को सूचना प्रेषित करना अथवा सक्षम न्यायालय/अधिकरण से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे एन.पी.ए. प्रकरण जिनमें वसूली हेतु न्यायालयीन डिग्री प्राप्त कर ली गई है। उन प्रकरणों में न्यायालय की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

13.6 समझौता योजना के अंतर्गत माफ की गई राशि बैंक स्तर पर निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत संबंधित बैंक द्वारा स्वयं वहन की जाना होगी और इसके लिए शासन स्तर से या भारतीय रिजर्व बैंक से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होगी।

13.7 बैंक स्तर पर समझौता योजना के अंतर्गत एनपीए प्रकरणों की प्रगति प्रत्येक तिमाही पर संचालक मंडल प्रशासक के समक्ष रखी जावे ।

13.8 योजना का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही पर पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल को भेजा जाएगा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा चाहे जाने पर योजना का प्रगति प्रतिवेदन रिजर्व बैंक को भी भेजा जाएगा ।

(14) **योजना की समय–सीमा :–** यह योजना जारी होने के दिनांक से दिनांक 31.03.2024 तक या बैंक संचालक मंडल/प्रशासक द्वारा इस योजना के अनुमोदन दिनांक से 31.03.2024 तक लागू रहेगी।

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को–ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड

आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक प्रगति–पत्रक

(रूपये लाखों में)

वर्ष	74-75	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सदस्य संख्या	4878	15246	15187	15077	14989	14862	15384	15361	15297	15216	15118	15146	15126
अंश पूंजी	10.00	297.85	320.14	328.26	328.51	320.53	318.19	310.08	307.12	300.45	295.97	292.79	291.25
निधियाँ	–	659.26	680.25	749.61	806.00	829.14	881.97	925.21	1003.96	1067.62	1081.87	889.98	940.95
कालातीत ब्याज निधि	–	83.79	75.55	70.83	275.06	276.92	296.94	285.73	287.26	295.13	303.94	311.67	319.31
अमानतें	24.24	10439.25	11122.44	11877.29	11890.41	11686.76	13760.31	13715.90	13682.32	14269.59	15749.37	15550.41	14078.71
विनियोजन	21.30	7019.72	6198.80	6949.68	7114.40	6903.88	9156.53	8508.64	7876.51	8453.11	10495.01	10605.80	8204.19
ऋण एवं अग्रिम	8.45	5002.53	5800.40	5617.05	5813.33	5475.03	5059.19	5608.15	6504.09	6535.09	6014.53	5808.98	6639.77
कुल आय	3.50	1191.58	1345.12	1373.23	1396.03	1322.64	1319.76	1349.71	1298.03	1357.07	1382.72	1265.69	1232.34
शुद्ध लाभ	1.21	41.29	90.49	79.91	16.15	84.76	71.21	107.05	92.22	54.62	109.71	84.45	97.60
कार्यशील पूंजी	36.75	13017.50	13094.67	13920.40	14324.66	13710.50	15835.06	15694.23	15755.96	16350.32	17975.02	17693.83	16214.49
टर्न ओवर	28.11	4448.68	4394.25	4297.70	5217.27	4153.07	4106.80	4817.09	4969.70	4591.41	3488.11	4623.65	4376.42
(करोड़ में)													
लाभांश वितरण	5%	8%	10%	10%	-	12%	12%	12%	12%	-	12%	12%	12% (प्रस्तावित)

ग्राहक मिलन समारोह में दीप प्रज्जवलन करते हुए संचालकगण

ग्राहक मिलन समारोह में उपस्थित सम्माननीय ग्राहक

अध्यक्ष श्री अमरीश जी दम्मानी का उद्बोधन

उपाध्यक्ष श्री विजयकुमारजी जैन द्वारा आभार प्रदर्शन

स्थापना दिवस पर दीप प्रज्जवलन करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालकगण

बैंक स्टॉफ परिवार

प्रबंधन बोर्ड

हंसराज जैन
अध्यक्ष

अमरीश दम्मानी
सदस्य

राजेश आजाद
सदस्य

रविन्द्र केकरे
सदस्य

अमर आहुजा
सदस्य

विपिन जैन
सदस्य

बैंक कार्यालय

मुख्यालय

शाखा हुकमचंद मार्ग

शाखा गुमाश्ता नगर

शाखा कालानी नगर

शाखा सियागंज

इन्दौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि.

मकान निर्माण, क्रय, मरम्मत, कार ऋण, वाहन ऋण, सोना-चाँदी, आभूषण ऋण, व्यापारिक ऋण एवं लिमिट सुविधा **न्यूनतम ब्याज दर** पर लेकर अपने व्यापार व्यवसाय की उन्नति करें।
नोट : ब्याज गणना डेली रिड्युसिंग बेलेन्स पर समय पूर्व ऋण खाता बंद करने पर कोई पेनल्टी नहीं

ए.टी.एम./रुपे डेबिट कार्ड

पोस एवं ई-कॉम सुविधा

मोबाईल बैंकिंग सुविधा

यूपीआई सुविधा

व्यापारिक ऋण

हाइपोथिकेशन लिमिट	मार्टगेज लिमिट
9.00%	9.50%

60% उपयोग होने पर 0.50% की छूट

स्टॉम्प शुल्क 0.25 से 0.50 प्रतिशत एवं प्रोसेसिंग फीस, वकील फीस एवं मूल्यांकन कुल शुल्क
रुपये 5500 अधिकतक

कार ऋण

8.50%

प्रोसेसिंग शुल्क नाम मात्र

सोना चाँदी आभूषण ऋण

9%

प्रोसेसिंग शुल्क
1 रुपये प्रति हजार

KVP/NSC/LIC पर ऋण

9%

मकान ऋण

8.40%

किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं

ऋण एवं लिमिट सुविधा के लिये बैंक की सभी शाखाओं में संपर्क किया जा सकता है।

बैंक के मोबाइल एप द्वारा **RTGS/NEFT/IMPS** आंतरिक व्यवहार की सुविधा उपलब्ध

लॉकर्स सुविधा हुकुमचंद मार्ग, गुमाश्ता नगर एवं एरोड्रम रोड़ शाखा पर उपलब्ध है।

विशेष - बैंक से सीटीएस चेक वेस्टर्न ग्रिड के सभी सीटीएस शहरों पर PAR भुगतान योग्य है।

प्रेषक : इन्दौर क्लॉथ मार्केट को-ऑप.बैंक लि., 23, सर हुकुमचंद मार्ग (इतवारिया बाजार), इन्दौर

Sugan/0930 212 55 94